

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம் (தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு அமைச்சகம், **இந்திய அரசு**)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, **आरत सरकार**)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India**)



மண்டல அலுவலகம் / क्षेत्रीय कार्यालय / Regional Office

143, ஸ்டெர்லிங் சாலை, நுங்கம்பாக்கம், சென்னை-600 034.

143, स्टर्लिंग रोड, न्ंगमबाक्कम, चेन्नै-600 034.

143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai-600 034.

Phone: 044-28306300 (100 Lines) E-mail: rd-tamilnadu@esic.gov.in

Website: www.esic.gov.in/www.rotamilnadu.esic.gov.in

सं.No. 51-W-11-RO-Quarters-Allotment-2023

दिनांक Date :-

.03.2025

परिपत्र CIRCULAR

विषयः- क्षेत्रीय कार्यालय और आयनावरम परिसर में स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन के लिए आवेदन अधिकारियों एवं कर्मचारी।

Sub: Applications for allotment of Staff Quarters in **Regional Office & Ayanavaram Campus** – officers and Officials.

चेन्नै क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारी से अनुरोध है कि आवासीय क्वार्ट्स के आबंटन के लिए / आवासीय क्वार्ट्स में परिवर्तन करने / चेन्नै में टाइप के परिवर्तन के लिए इच्छुक अधिकारियों एवं कर्मचारी आपना आवेदन दिनांक <u>04.04.2025</u> तक अवश्य भेजें। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विभिन्न केन्द्रों के क्वाटरों के आबंटन के लिए प्राथमिकता सूची तैयार की जाएगी जो वर्तमान प्रतिक्षा सूची के पुरी होने के बाद संचालित की जाएगी। ऐसी तैयार की गई सूची दिनांक 01.05.2025 से 30.04.2026 तक अथवा अन्य निर्णय किए जाने वाली तारीख तक वैध होगी। सभी अधिकारियों / प्रबंधकों /आवेदकों से अनुरोध है कि सभी विवरण सेवानिवृत्ति की तारीख सहित सटीक रूप से भरना सुनिश्चित करें।

The Officers and Officials working in Chennai and desirous of applying for allotment of residential accommodation / change of residence / change of type in Chennai are requested to send their applications on or before 04.04.2025. Based on the applications received, priority list for allotment of Quarters at different Centers will be drawn and the list will be valid for one year with effect from 01.05.2025 to 30.04.2026 or upto the date as may be decided otherwise. Officers/Managers/ Applicants are requested to ensure the correctness of all the particulars including the date of retirement.

कर्मचारियों के लिए क्वाटरों का आबंटन नियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। क्वाटरों के लिए आबंटन का आस्थगन आदि के लिए सशर्त स्वीकृति या अनुरोध यदि कोई हो तो,इनकार के रूप में माना जाएगा और ऐसे आवेदकों को एक वर्ष की अविध के लिए आबंटन से वंचित कर दिया जाएगा तथा निर्देशों के अनुसार मकान किराया भत्ता / लाईसेंस शुल्क का आहरण कर दिया जाएगा।

The allotment of the quarters will be made according to the provisions of Staff Qtr., allotments rules. Any conditional acceptance or request for deferment of allotment etc., if any, will be deemed as REFUSAL and such applicants will be debarred from the allotment for the period of one year and drawl of HRA / License Fees will be regulated as per instructions.

पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन दिनांक 04.04.2025 तक या उससे पहले इस कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

Applications completed in all respects should be sent to this office on or before 04.04.2025 positively as <u>applications received after the due</u> date will not be entertained.

उप निदेशक सामान्य शाखा Deputy Director (GENL) For AC&RD कृते अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक

सेवा में То,

- 1. सभी शाखाधिकारी,क्षे.का.चेन्नै All Branch Officers at Regional office ,Chennai-34
- 2. क्षे.का.चेन्नै की सभी शाखाएं/कक्ष All Branches/Cells at R.O.Chennai-34
- 3. चेन्नै क्षेत्र के सभी शाखा प्रबंधक All Branch Managers in Chennai Region.
- 4. चेन्नै क्षेत्र के सभी सामाजिक सुरक्षा अधिकारी All Social Security officers in Chennai Region.
- 5. डीन कराबी निगम अस्पताल, के.के.नगर, चेन्नै, The Dean ESIC Hospital, K.K. Nagar, Chennai-78
- 6. परिपत्र फाइल Circular File
- 7. सूचना पट्ट,क्षे.का.चेन्नै Notice Board, R.O. Chennai-34